एक माह से समय अधिक हो जाने से पुनः पत्रावली मजिद बहस हेतु उभयपक्षो के अधिवक्ताओ ने समय चाहा। वास्ते पत्रावली मजिद बहस हेतु नियत दिनांक 19.10.23 को पेश हो (हस्ताक्षर)

19/10/23 पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 20/10/23 को पेश हो।

20/10/23 पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष के अधिवक्ता आरक्षित आदेश समयाभाव से नही लिखाया जा सका। बहस सुने लम्बा समय हो जाने से आज पुनः मजीद बहस सुनी गयी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा. दी. व धारा 11 C.P.C. स्वीकार कर वादीगण का वाद पत्र खारीज किया जाता है। विस्तृत आदेश अलग से तैयार करा खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

देवेन्द्र प्रसाद शर्मा
(हस्ताक्षर)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—हुक्मीचन्द रोहलानिया , आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या 282/2019 वाद पत्र

अनवान प्रकरण

1—श्रीमती भंवर कंवर पत्नि सांवतसिंह भाटी पुत्री स्व0 मोहनसिंह माता हंसकंवर पुत्री स्व0 उंकार सिंह राजपूत निवासी डगला का खेड़ा पो0 धनेत तहसील चितौड़गढ

2—श्रीमती जयकंवर पत्नि शंकरसिंह पंवार पुत्री स्व0 मोहनसिंह माता हंसकंवर पुत्री स्व0 उंकारसिंह राजपूत निवासी बम्बोरी जिला चितौड़गढ

3—श्रीमती हेमकंवर पत्नि शिवराजसिंह राणावत पुत्री स्व0 मोहनसिंह माता हंसकंवर पुत्री स्व0 उंकारसिंह राजपूत निवासी दमाणा पो0 झाड़ोल जिला उदयपुर

4—श्रीमती विष्णुकंवर पत्नि शंकरसिंह शक्तावत पुत्री स्व0 मोहनसिंह माता हंसकंवर पुत्री स्व0 उंकारसिंह राजपूत निवासी मांगरोल छोटी सादड़ी तहसील गंगरार जिला चितौड़गढ

5—श्री सुरेन्द्रसिंह पिता स्व0 मोहनसिंह माता हंसकंवर पुत्री स्व0 उंकारसिंह राजपूत निवासी गोवलिया तहसील गंगरार जिला चितौड़गढ

6—श्री घनश्यामसिंह पिता स्व0 मोहनसिंह माता हंसकंवर पुत्री स्व0 उंकारसिंह राजपूत निवासी गोवलिया तहसील गंगरार जिला चितौड़गढ।

——— वादीगण

बनाम

1—श्रीमती कमलाकंवर पत्नि स्व0 नारायण सिंह राजपूत निवासी पीथास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा

2—श्रीमती रेखाकंवर पुत्री स्व0 नारायण सिंह राजपूत निवासी पीथास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा

3—श्री भंवरसिंह पिता हरिसिंह माता चतर कंवर पुत्री स्व0 उंकारसिंह राजपूत निवासी इ0—40 आर0के0कॉलोनी तहसील एवं जिला भीलवाड़ा

4—श्रीमती केसरकंवरपुत्रीहरिसिंह पत्नि जगदीश सिंह राजपूत माता चतर कंवरपुत्री स्व0 उंकारसिंह राजपूत निवासी छापरेल तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा

5—श्रीमती विष्णुकंवर पत्नि भगवान सिंहपुत्रवधु चतर कंवर राजपूत निवासी बडाखेड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

6—श्रीअजयपाल पुत्र भगवान सिंह नाबालिग बली संरक्षक माताविष्णु कंवर राजपूत निवासी बडाखेड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

7—सुश्री खुशबू कंवर पुत्री भगवान सिंह नाबालिग बली संरक्षक माता विष्णु कंवर राजपूत निवासी बडाखेड़ा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

8—राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार साहब माण्डल जिला भीलवाड़ा.

9—उप पंजीयक महोदय माण्डल तहसील व जिला भीलवाड़ा

—प्रतिवादीगण

(वाद पत्र अन्तर्गत धारा— 88—89—92ए व 188 आर0टी0ए0)

———0———

प्रार्थीगणः— प्रतिवादी संख्या 01व 02 की ओर से—

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व धारा 11 जा0दी0)

———0———

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

उपस्थितः— वकील वादी— श्री मांगीलाल सेन
वकील प्रतिवादी सं0 1 व 2—श्री देवेन्द्र प्रसाद शर्मा

दिनांक 20-10-.2023

आदेश

1— प्रतिवादी संख्या 01 व 02 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व धारा 11 जा0दी0 के तहत प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त कृषि आराजीयात बाबत इन्हीं वादीगणों व प्रतिवादीगणों के मध्य पूर्व में एक सिविल वाद श्रीमान जिला न्यायाधीश महोदय भीलवाड़ा के यहां बाबत विभाजन जायदाद का प्रस्तुत किया गया था जो बाद में श्रीमान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय(फा0ट्रेक संख्या 02) भीलवाड़ा के यहां अन्तरित हुआ जिसके प्रकरण संख्या 43/2008 ई0दी0कायम हुये थे इस वाद में भी इन उक्त वादग्रस्त आराजीयात जो कि कुल 22 बीघा 04 बिस्वा का बंटवाड़ा चाहा गया था। बाद सुनवाई न्यायालय द्वारा दिनांक 16.02.2009 को वादपत्र खारिज फरमा दिया गया।

2—यह कि इन्ही वादीगणों एवं प्रतिवादीगणो के मध्य इसी कृषि आराजीयात कुल 22 बीघा 04 बिस्वा का बटवाड़ा एवं घोषणा बाबत पुनः वादपत्र श्रीमान जिला न्यायाधीश महोदय भीलवाड़ा के यहां प्रस्तुत किया गया जो बाद में श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश महोदय संख्या 01 भीलवाड़ा के यहां अन्तरित कर दिया गया था जिसके प्रकरण संख्या 73/2011 ई0दी0 कायम हुये बाद सुनवाई न्यायालय द्वारा वादपत्र दिनांक 11.07.2019 को खारिज फरमा दिया गया।

3—यह कि इस प्रकार वादग्रस्त आराजीयात बाबत सिविल न्यायालय द्वारा दो—दो बार निर्णय हो चुके हैं। कानूनन धारा 11 जा0दी0 के तहत उन्हीं आराजीयात के विभाजन बाबत पुनः यह दावा चलने योग्य नहीं है एवं इसी स्तर पर खारिज होने योग्य है। वादीगणों के द्वारा उक्त दोनों फैसलों की कहीं पर भी उच्च न्यायालय में कोई अपील नहीं की है जिससे उक्त दोनों निर्णय इस न्यायालय पर बाध्यकारी है।

4—यह कि वादीगणों एवं प्रतिवादीगणों ने पूर्व में किये दावों एवं उनके निर्णयों को जानबूझकर छिपाया है व न्यायालय श्रीमान के समक्ष क्लीन हैण्ड से नहीं आये हैं इस कारण भी वादीगण का यह वादपत्र काबिल खारिज होने योग्य है।अतः प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा वादीगण का यह वादपत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

.5—प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 व सपठित धारा 11 जा0दी0 का वादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 01 गलत होकर अस्वीकार है। अपर जिला न्यायालधीश संख्या 43/2008 ई0दी0 का जो विवाद ग्रस्त भूमि में विभाजन बाबत प्रस्तुत किया गया जो कि चतरकंवर के वारिसान भंवरसिंह पिता हरिसिंह व केशर कंवर पुत्री जगदीश सिंह द्वारा आवासीय जायदाद को शामिल कर प्रस्तुत किया जो कि पैतृक सम्पत्ति बाबत था जिसमें प्रतिवादी संख्या 01 व 02 पक्षकार नहीं थे व वादीगण भी पक्षकार नहीं थे केवल मात्र वादी संख्या 05 को पक्षकार बनाया गया था जो दावा वादीगण का आवश्यक पक्षकारान को संयोजित कनहीं किया जाने से वाद पत्र दिनांक 16.02.2009 को खारिज हुआ इसलिए उक्त निर्णय से धारा 11 के तहत रेस ज्युडिकेटा के सिद्धान्त वादीगण द्वारा प्रस्तुत इस वाद पत्र पर लागू नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज होने लायक है।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

6–यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 02 गलत होकर अस्वीकार है। इसका जवाब इस प्रकार है कि अपर जिला न्यायाधीश महोदय भीलवाड़ा के न्यायालय में एक सिविल वाद संख्या 73/2011 ई0दी0 निर्णित हुआ जिसमें भी चतर कंवर के वारिस द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसमें उसका वादपत्र खारिज अवश्य हुआ किन्तु उक्त वादपत्र में हंसकंवर के वारिस जो इस वादपत्र में वादीगण है जो कि प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार थे जिनके विरूद्ध साबित करने के लिए कोई तनकी निर्धारित नहीं थी वादीगण का वाद खारिज हुआ है जिसमें किसी भी पक्ष का हक व हिस्सा निर्धारित नहीं किया है तथा उक्त प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का काउन्टर वादपत्र नहीं था व न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पति को गोद पुत्र भी घोषित नहीं किया है केवल मात्र तनकी नम्बर 01 में यह विवेचन किया कि चतर कंवर ने अपने पास हक हिस्सा नहीं रखा है इसलिए वादीगण तनकी संख्या 01 का साबित नहीं कर पाये हैं जिसमें वादपत्र खारिज हुआ है। चूंकि सिविल वाद में वादीगण जो कि हंस कंवर के वारिस है जिनमें हक व हिस्सा बाबत कोई निर्धारण व विवेचन सिविल न्यायालय में नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में सिविल न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 11.07.2019 में धारा 11 रेस ज्युडिकेटा का असर नहीं रखता है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज होने लायक है।

7–यह कि सिविल न्यायालय द्वारा निर्णित प्रकरण संख्या 73/2011 निर्णय दिनांक 11.07.2019 में प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार थे वादीगण का वादपत्र खारिज हुआ है प्रतिवादीगण सजरा के अनुसार मेहताब कंवर पत्नि स्व0 उंकार सिंह के जायन्दा 02 पुत्रियां हंसकंवर व चतर कंवर थी जिनके पक्ष में मेहताब कंवर ने एक वसीयत नामा दिनांक 19.09.1995 को भी विवादग्रस्त आराजीयात बाबत व आवासीय जायदाद बाबत निष्पादित किया है। इसलिए हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने अपने विरासतनीय अधिकार एवं वसीयत नामा के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा इन्द्राज दुरूस्थी का वाद प्रस्तुत किया है जो विधिवत है।प्रतिवादी संख्या 01 व 02 उक्त भूमि को विरासत से अपने अकेले के नाम पर अंकित करवाना चाहते हैं व वादीगण को मौके से बेदखल करने व रेकार्ड में अपने अकेले के नाम पर दर्ज कराने की धमकी दिनांक 30.07.2019 को दी जिससे वाद कारण दिनांक 30.07.2011 उत्पन्न हुआ है जो विधिवत है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

8–हमने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 व सपठित धारा 11 जा0दी0 पर उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। बहस में प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपर जिला न्यायाधीश भीलवाड़ा के न्यायालय से प्रकरण में गोद के सम्बन्ध में तनकीयात कायम की जाकर दिनांक 11.07.2019 को निर्णय पारित हुआ है। माननीय न्यायालय फास्ट ट्रेक संख्या 2 में भी वादीगण का प्रकरण दिनांक 16.02.2009 को खारीज हो चुका है। उक्त दोनों न्यायालयों के निर्णय के खिलाफ वादीगण के द्वारा किसी उच्च न्यायालय में कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व सपठित धारा 11 जा0दी0 के प्रार्थनापत्र को स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण का वाद खारीज फरमाया जावे। वकील अप्रार्थी (वादीगण) के द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अन्य न्यायालयों में पक्षकार अलग–अलग थे। अन्य न्यायालयों में जो प्रकरण निर्णित हुए हैं उनमें कोई तनकी कायम नहीं की गई एवं नारायणसिंह को गोदपुत्र घोषित नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का खारीज फरमया जावे।

9–हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र व जवाब प्रार्थना पत्र एवं विभिन्न न्यायालयों के द्वारा पारित निर्णयों के अध्ययन से तथ्य

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

जाहिर आए कि माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01 भीलवाड़ा के न्यायालय में प्रस्तुत वाद संख्या 73/2011 बअनवान भंवरसिंह बनाम कमला कंवर बाबत बटवाड़ा आराजीयात एवं घोषणात्मक डिक्री हेतु प्रस्तुत किया जिसमें भंवरसिंह व केसरकंवर पिता हरिसिंह राजपूत वादीगण एवं कमलाकंवर पत्नि नारायणसिंह व रेखाकंवर पुत्री नारायणसिंह, सुरेन्द्रसिंह पिता मोहनसिंह, भंवरकंवर पत्नि सांवनसिंह भाटी पुत्री मोहनसिंह, जयकंवर पत्नि शंकरसिंह पंवार पुत्री मोहनसिंह राजपूत, हेमकंवर पत्नि शिवराजसिंह राणावत पुत्री मोहनसिंह राजपूत, विष्णुकंवर पत्नि शंकरसिंह शक्तावत पुत्री मोहनसिंह राजपूत, घनश्यामसिंह पिता मोहनसिंह राजपूत, वीरूकंवर पत्नि स्व0 भगवानसिंह राजपूत प्रतिवादीगण थे जिसका निर्णय दिनांक 11.07.2019 को तनकीयात) 9 वादबिन्दु कायम करते हुए वादीगण का वाद खारिज किया गया। इन्हीं पक्षकारों के द्वारा इस न्यायालय में यह वाद अन्तर्गत धारा 88–89–92(क) व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया है जिसमें भंवरकंवर पत्नि सावनसिंह पुत्री स्व0मोहनसिंह, जयकंवर पत्नि शंकरसिंह पंवार पुत्री स्व0 मोहनसिंह राजपूत, हेमकंवर पत्नि शिवराजसिंह राणावत पुत्री स्व0 मोहनसिंह राजपूत, हंसकंवर पुत्री स्व0 उंकारसिंह राजपूत, सुरेन्द्रसिंह पिता स्व0 मोहनसिंह माता हंसकंवर पुत्री स्व0 उंकारसिंह राजपूत, घनश्यामसिंह पिता स्व0 मोहनसिंह माता हंसकंवर पुत्री स्व0 उंकारसिंह राजपूत वादीगण है एवं कमलाकंवर पत्नि स्व0 नारायणसिंह राजपूत , रेखाकंवर पुत्री स्व0 नारायणसिंह राजपूत निवासियान पीथास, भंवरसिंह पिता हरिसिंह माता चतरकंवर, केसरकंवर पुत्री हरिसिंह माता चतरकंवर पुत्री स्व0 उंकारसिंह राजपूत, विष्णुकंवर पत्नि भगवानसिंह पुत्रवधु चतरकंवर राजपूत, अजयपाल पिता भगवानसिंह नाबा0, खुशबुकंवर पुत्री भगवानसिंह नाबा0 बवि0 माता विष्णुकंवर पत्नि भगवानसिंह राजपूत प्रतिवादीगण है इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय एवं मा0 अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01 भीलवाड़ा में प्रस्तुत वाद संख्या 73/2011 के पक्षकार समान है तथा इस वाद में भी घोषणात्मक दाद एवं प्रतिवादीया के स्व0 पति नारायणसिंह के गोदपुत्र होने के बिन्दु को उठाया गया था जिसका मा0 अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01 भीलवाड़ा ने अपने निर्णय दिनांक 11.07.2019 में विस्तृत विवेचन करते हुए स्व0 नारायणसिंह को स्व0 उंकारसिंह पिता समरथसिंह राजपूत एवं उनकी पत्नि महताब कंवर के द्वारा विधिवत समस्त सामाजिक रीतिरिवाज से गोदलिया जाने का उल्लेख तनकी संख्या 01 में उल्लेख किया है। मा0अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01 भीलवाड़ा के निर्णय के वारे में वादीगण ने इस न्यायालय में प्रस्तुत किए गए वाद में कोई उल्लेख नहीं किया है न ही इन न्यायालयों के निर्णय के खिलाफ वादीगण के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय में कोई चाराजोही आज दिनांक तक नहीं की है। वादीगण के द्वारा जो वादकारण की दिनांक 30.07.2019 अंकित की गई है उसमें भी अंकित किया कि प्रतिवादी गोदपुत्र के आधार पर रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने पर आमादा है अर्थात मुख्य विवाद गोद का है। जिसके सम्बन्ध में मा0अपर जिला न्यायाधीश संख्या–01 भीलवाड़ा में प्रकरण संख्या 73/2011 दर्ज होकर दिनांक 11.07.2019 को निर्णय पारित किया जिसमें स्व0 नारायणसिंह को स्व0 उंकारसिंहजी का गोदपुत्र होने के सम्बन्ध में विस्तृत निर्णय पारित किया जा चुका है। उक्त तथ्यों को छिपाते हुए वादीगण के द्वारा यह वाद स्वच्छ हाथों से इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है। अतएव–

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 व सपठित धारा 11 स्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारीज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।
आदेश आज दिनांक 20.10.23 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मोहर से तैयार कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा